सरकार के कर्मचारी मकान निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन मकान बनाने के लिये नियम राशि के पात्र नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के नाम गिरवी रखने के लिये उनके पास कोई भूमि नहीं होती ;

(ख) क्या सरकार मकान बनाने के लिये अग्रिम राशि लेने हेतु भूमि को गिरवी रखने संबंधी नियमों में संशोधन करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो सामूहिक आवास योजना के अधीन मकान लेने में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह):

(क) जी, हां । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्य हैं, फ़िलहाल गृह निर्माण अग्रिम लेने के पात्र नहीं है ।

(ख) और (ग). यह मामला जांच की प्रारंभिक अवस्था में हैं ।

जाली राशन कार्डों के आधार पर पुनर्वास कालोनियों में भूखण्डों का आवंटन

1614. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में अनेक व्यक्तियों को पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जाली राशन कार्डों के आधार पर विभिन्न नामों के भूखंड आवंटित करा लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता की जांच करने और इसे ठीक करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे ऐसी कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पानी साफ करने पर हुआ खर्च

1615. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलपूर्ति एवं मल निकास संस्थान दिल्ली द्वारा 1981-82 में 3030 लाख गैलन पानी साफ करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई और संस्थान को जल की सप्लाई से कितनी आय हुई ;

(ख) वर्षा के पानी के कुंओं के और नलकूपों से कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया गया और उन कुओं की संख्या कितनी है जो ठीक कार्य कर रहे हैं और कितने नलकूपों में मीटर लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि नलकूपों का पानी पीने योग्य है तो नई दिल्ली नगरपालिका और छावनी बोर्ड ने किन कारणों से नलकूप नहीं लगवाये हैं

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :

(क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि जनवरी, 1982 तक वर्ष 1981-82 के लेखों को